

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 534]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2019-पौष 6, शक 1941

#### वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2019

क्र. एफ-ए-3-17-2010-1-पांच(94).- मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-17-2010-1-पांच(94), दिनांक 24 नवम्बर 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में शब्द "एस्सार ऑयल लिमिटेड" के स्थान पर शब्द "नयारा एनर्जी लिमिटेड" स्थापित किया जाए.

2. यह अधिसूचना दिनांक 25 मई 2018 से प्रवृत्त हुयी मानी जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2019

क्र. एफ-ए-3-17-2010-1-पांच.- भारत के संविधान अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय के आदेश क्रमांक एफ ए 3-17-2010-1-पांच (94), दिनांक 27 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 27th December 2019

No. F A 3-17-2010-1-V(94).- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 9 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's notification No. FA-3-17-2010-1-V-(94), dated 24th November, 2010, namely :-

AMENDMENT

In the said notification, for the words "Essar Oil Limited", the words "Nayara Energy Limited" shall be substituted.

2. This notification shall deemed to have come into force from 25th May 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
**ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.**